राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

क्रमांक F.1(28)CIFB/16/723 दिनांक 6/6/16

अधिसूचना

कारखानों के निरीक्षण व स्व-प्रमाणीकरण में पारदर्शिता बनाए रखने, सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु अधिसूचना F.3(1)Legal/F&B/05/653 दिनांक 27-05-2016 के अतिरिक्त कारखानों का कालम नम्बर 2 में उल्लेखित बिन्दुओं के सामने कालम नम्बर 3 में दर्शाये गये अंकों के आधार पर उच्च, मध्यम व निम्न जोखिम श्रेणी वर्गीकरण करने हेतु अंक प्रणाली निर्धारित की जाती है। इस अंक प्रणाली व रिटर्न में अंकित निम्न बिन्दुओं के आधार पर RajFAB Web Application में Computerized Risk Assessment द्वारा कारखानों के निरीक्षण के लिये Randomized Computer प्रणाली से कारखाना अधिनियम, 1948 व उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का ध्यान रखते हुए निरीक्षणों की संख्या व निरीक्षक आवंटित किये जावेंगे-

क्र0 सं0	जोखिम वर्गीकरण का बिन्दु	अंक (कुल 100)
1	2	3
1	किसी कारखाने में विगत एक कैलेण्डर वर्ष में दुर्घटना घटित होने से किसी व्यक्ति को स्थाई अपंगता (Permanent Disability) हुई हो	20
2	जहाँ पर नियोजित किसी श्रमिक को व्यवसायजनित बीमारी पायी गयी हो	20
3	किसी कारखाने में विगत एक कैलेण्डर वर्ष में विस्फोट/आग लगने की दुर्घटना (Dangerous Occurrence) घटित हुई हो परन्तु जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा कोई घायल नहीं हुआ हो	15
4	जहाँ कार्य वातावरण में वायु प्रदूषकों की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक मापी गयी हो	15
5	गत निरीक्षण प्रतिवेदन की पालना प्रस्तुत नहीं की गई हो	15
6	जहाँ रात्रि पारी में महिलाएँ नियोजित हों	5
7	कारखाने के प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं करवाया गया हो	5
8	निर्धारित अवधि में रिटर्न प्रस्तुत नहीं की हो	5

<u>उच्च जोखिम श्रेणी</u> में ऐसे सभी कारखाने वर्गीकृत किये जायेंगें जिनको जोखिम संबंधी वर्गीकरण बिन्दुओं के सामने अंकित अंकों को भारित किये जाने के परिणामस्वरूप कुल 40 या अधिक अंकों का भार प्राप्त होगा। ऐसे उच्च जोखिम श्रेणी कारखानो में से 60 अंक भार तक के कारखानों का वर्ष में कम से कम 2 बार व 60 से अधिक अंक भार के कारखानों का कम से कम 3 बार निरीक्षण Randomized Computer प्रणाली से किया जावेगा।

<u>मध्यम जोखिम श्रेणी</u> में ऐसे सभी कारखाने वर्गीकृत किये जायेंगें जिनको जोखिम संबंधी वर्गीकरण बिन्दुओं के सामने अंकित अंकों को भारित किये जाने के परिणामस्वरूप कुल 16 से 39 अंकों का भार प्राप्त होगा। वर्ष में 30 अंक भार तक के ऐसे मध्यम जोखिम श्रेणी कारखानो में से अधिकतम 50% कारखानो का व 30 से 39 अंक भार तक के कारखानो में से अधिकतम 75% कारखानो का Randomized Computer प्रणाली से किया जावेगा।

<u>निम्न जोखिम श्रेणी</u> में ऐसे सभी कारखाने वर्गीकृत किये जायेंगें जिनको जोखिम संबंधी वर्गीकरण बिन्दुओं के सामने अंकित अंकों को भारित किये जाने के परिणामस्वरूप कुल 15 या कम अंकों का भार प्राप्त होगा। वर्ष में ऐसे निम्न जोखिम श्रेणी कारखानो में से वर्ष में अधिकतम 25% कारखानो का Randomized Computer प्रणाली से किया जावेगा।

अधिसूचना F.3(1)Legal/F&B/05/653 दिनांक 27-05-2016 में दर्शाये गये उच्च जोखिम कारखानों के प्रारम्भिक अंक 40, मध्यम जोखिम के कारखानों के प्रारम्भिक अंक 16 व निम्न जोखिम के कारखानों के प्रारम्भिक अंक शून्य होंगें।

किसी कारखाने में क्र0 सं0 1, 2, 3 एवं 4 में वर्णित बिन्दु का अंक भार अग्रिम एक वर्ष तक पुनरावृत्ती नहीं होने पर व शेष बिन्दुओं में उनकी पालना प्राप्त होने पर संबंधित बिन्दु का अंक भार हटा दिया जावेगा।

(मुकेश जैन)
मुख्य निरीक्षक एवं पदेन उप सचिव
कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग